



उ० प्र० राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी

चतुर्थ तल, ए-ब्लॉक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226 010

दूरभाष : 0522-2720360, फैक्स : 0522-2721135

<http://upaidscntrol.up.nic.in>

पत्रांक : एड्स सोसा० / HSS/15R/ 2014-15/ 2018

दिनांक २४/१०/१६

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सोसाइटी में क्रायोवायल, क्रायोवायल स्टोरेज बाक्स एवं पैराफिल्म रोल की आपूर्ति हेतु जारी लिमिटेड टेण्डर संख्या HSS/15R/2014-15/1926 दिनांक 14.10.2016 में टेण्डर प्रस्तुत करने एवं खोले जाने की तिथि दिनांक 25.10.2016 को अपरिहार्य कारणवश दिनांक 08.11.2016 कर दी गयी है। अन्य सभी नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

(भरत कुमार मिश्र)
संयुक्त निदेशक, (क्रय)



उ० प्र० राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी

चतुर्थ तल, ए-ब्लॉक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226 010
दूरभाष : 0522-2720360, फैक्स : 0522-2721135
<http://upaidcontrol.up.nic.in>

पत्रांक : एड्स सोसा० / १९२६ / २०१४-१५ / १९२६

दिनांक १४/१०/१६

सेवा में,

संलग्न सूची के अनुसार

विषय: क्रायोवायल, क्रायोवायल स्टोरेज बॉक्स एवं पैराफिल्म रोल की आपूर्ति हेतु कोटेशन आमंत्रण पत्र।

महोदय,

राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत ए च.आई.वी. सेन्टिनेल सर्विलेन्स कार्यक्रम के लिए सोसाइटी को क्रायोवायल, क्रायोवायल स्टोरेज बॉक्स एवं पैराफिल्म रोल की आवश्यकता है। कृपया निम्न विवरण एवं सेवा-शर्तों के अनुसार अपनी न्यूनतम् दरें सोसाइटी को भेजने का कष्ट करें:-

S. No.	Technical Specifications	Packing	Quantity (Nos.)	Rate/ Unit inclusive of all taxes & levies (Rs.)
1.	Standard Make Cryo Vial 1.8 ml. (Leak Proof Vial with Screw Cap) <ul style="list-style-type: none"> Cryo vial Should be made of polypropylene or similar materials. Vials should be sterilized and with prominent graduations on vial. Vials should have long marking area for sample identification. Cap of each vial should be completely leak proof. 	25 Vials	27,500	
2.	Standard Make Cryo Vial Storage Box (To store a minimum of 81 vials of 1.8 ml. Cryo Vial)	Per Box	350	
3.	Parafilm Roll	Per Roll	2	
Total Amount Rupees.....				

सेवा-शर्त:

- कोटेशनदाता द्वारा पैन/टिन/झग लाइसेन्स आवंटन की अभिप्रमाणित छायाप्रतियां एवं कोटेशन सेवा-शर्तों के लिए इस कोटेशन की एक अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाएगा।
- कोटेशनदाता द्वारा अपनी दरें फर्म के लेटर हेड जिसमें पूर्ण पता अंकित हो पर देना अनिवार्य है। कोटेशन एवं समस्त संलग्नकों पर फर्म के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा मुहर के साथ हस्ताक्षर कर पूर्णतः सील लिफाफा प्रस्तुत करें। कोटेशन की वैधता कोटेशन खोले जाने की तिथि से तीन माह तक के लिए होगी।
- कोटेशन में दर सभी कर एवं किराया सम्मिलित करते हुए कोट करें। योग में कोई अन्तर होने की स्थिति में ईकाई मूल्यों को आधार मानकर आगणन किया जायेगा। स्वीकृत दर में किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होगा और न ही किसी प्रकार का समायोजन किया जाएगा।
- कोटेशन के साथ Cryo Vial, Cryo Vial Storage Box का नमूना प्रेषित करना अनिवार्य है।**

5. कोटेशन के साथ रु० 8500/- की बिल्ड सिक्योरिटी धनराशि किसी वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी रेखांकित डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में “परियोजना निदेशक, उ.प्र. राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी, लखनऊ” के नाम से जमा करना होगा।
6. कोटेशन सोसाइटी कार्यालय में दिनांक 25.10.2016 को अपराह्न 3:30 बजे तक अवश्य पहुँच जाना चाहिए। दिनांक 25.10.2016 को अपराह्न 4:00 बजे कोटेशन क्रय समिति के समक्ष खोले जाएंगे। कोटेशन खोले जाते समय फर्म का एक अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है।
7. सफल कोटेशनदाता फर्म का चयन समरत समग्रियों के कुल योग के न्यूनतम् दर (एल-01) के आधार पर किया जाएगा।
8. सोसाइटी द्वारा स्वीकृत दरों वाली फर्म को क्रयादेश प्राप्ति तिथि से 10 दिन में सम्पूर्ण सामग्री की आपूर्ति क्रयादेश के अनुसार सोसाइटी में करनी होगी। विलम्ब आपूर्ति के लिए प्रति सप्ताह 0.5% (अधिकतम 10 % तक) का अर्थदण्ड लगाया जायेगा, यद्यपि अन्तिम निर्णय परियोजना निदेशक का होगा।
9. सोसाइटी द्वारा क्रयादेश में अंकित संख्या क्रय अवधि के दौरान कभी भी 25% तक घटाई/बढ़ाई जा सकती है।
10. जिस फर्म का चयन किया जाएगा, उसे क्रयादेश प्राप्ति तिथि से तीन दिन में सिक्योरिटी मनी क्रयादेश की कुल धनराशि का 7 प्रतिशत किसी वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में “परियोजना निदेशक, उ.प्र. राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी, लखनऊ” के नाम से जमा करना होगा। सिक्योरिटी धनराशि पर सोसाइटी द्वारा कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।
11. सन्तोषजनक सेवा/कार्य पूर्ण करने के उपरान्त बोजक दो प्रतियों में कार्यादेश की प्रति के साथ भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका भुगतान बजट उपलब्धता के आधार पर बीजक प्राप्ति तिथि से एक माह में किया जा सकता है। सोसाइटी द्वारा किसी भी दशा में कोई अग्रिम निर्गत नहीं किया जाएगा एवं भुगतान में किसी कारणवश होने वाले विलम्ब के लिए कोई ब्याज देय नहीं होगा। यथा लागू आयकर दर के अनुसार सोत पर आयकर (TDS) की कटौती सोसाइटी द्वारा भुगतान के समय की जायेगी। क्रयादेश की धनराशि के अंतरिक्त किसी भी प्रकार का भुगतान (कर, ट्रान्सपोर्टेशन आदि) सोसाइटी द्वारा नहीं किया जाएगा।
12. सन्तोषजनक/विलम्ब आपूर्ति, कोटेशन वापस लेने, कार्यादेश में निर्दिष्ट समय में सिक्योरिटी डिपाजिट जमा न करने एवं आपूर्तित सामग्री की गुणवत्ता में कमी/कार्यादेश की सेवा-शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में कार्यादेश निरस्त करते हुए वंधक धनराशि को जब्त/कटौती किया जा सकता है तथा अन्य किसी फर्म से सामग्री क्रय की जा सकती है।
13. किसी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप में रवैकार/अवैकार करने का अधिकार सोसाइटी के पास सुरक्षित है।
14. किसी भी वाद की रिथति में परियोजना निदेशक, उ०प०रा०ए०नि० सोसाइटी का निर्णय अंतिम एवं न्यायिक क्षेत्राधिकार लखनऊ होगा।

भवदीय,

मा
 (भरत कुमार मिश्र)
 संयुक्त निदेशक, क्रय